संख्या:475/2022/1751/35-4-2022/001-35-5099/2/2021

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 29 दिसम्बर, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-बाराबंकी के विधानसभा क्षेत्र-रामनगर के ग्राम अशोकपुर चाचूसरांय में राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-38/2020/509/35-4-2020, दिनांक 28 मार्च, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुए अनुमोदित लागत रू0 1105.98 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 442.39 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-93/2022/245/35-4-2022, दिनांक 22 मार्च, 2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 110.60 लाख तथा शासनादेश सं0-151/2022/497/35-4-2022, दिनांक 27 मई, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 276.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य हेतु लागत के सापेक्ष अब तक कुल रू0 829.49 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा पत्रांक: 858/आई0टी0आई0मांग/2022, दिनांक 25 नवम्बर, 2022 द्वारा उक्त शासनादेशों द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में देय धनराशि रू. 221.20 लाख (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व मे अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
विधान सभा क्षेत्र-रामनगर, बाराबंकी के ग्राम अशोकपुर चाचूसरांय में राजकीय आई0टी0आई0 का भवन निर्माण कार्य	1105.98	829.49	221.20

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020, दिनांक 22 मार्च, 2022 एवं दिनांक 27 मई, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,21,20000 (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4250002030302 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:475/2022/1751(1)/35-4-2022/001-35-5099/2/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी ।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी ।
15- सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बाराबंकी ।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।